(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 4/2019

बउनवान

1–भीमसेन आयु 70 वर्ष पुत्र श्योराम मीणा निवासी नयागांव तहसील अटरू जिला बारॉ
2–रामकरण 50 वर्ष पुत्र लटूरलाल मीणा निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– प्रेम आयु 55 वर्ष पुत्र नारायण मेघवाल निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ
2– श्याम आयु 50 वर्ष पुत्र नारायण मेघवाल निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारॉ

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट व आदेश धारा 47 सी.पी.सी.

उपस्थिति :– 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (प्रार्थीगण)
2. अनुपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 16.12.2019

प्रार्थीगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट व आदेश 47 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 274/2016 अपील अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 बउनवान भीमसेन बनाम प्रेम मे दिनांक 25.9.2019 को निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 25.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिला रिकार्ड रूम से मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण मूल अपील मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। प्रकरण मे मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रार्थीगण के अभिभाषक की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया गया कि सम्मानीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय दिनांक 25.9.2019 अपील मेमो एवं धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों व विधिक न्याय दृष्टांतो जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद [illegible] अवलोकन के अभाव मे पारित निर्णय का पुनर्विलोकन आवश्यक है। यह कि अ[illegible] [illegible] ने मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 183 (बी) [illegible].एक्ट के [illegible]रण की संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन नही किया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये बिना अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया, जो राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांत तानसुख बनाम भगवानदास तोडी आर.आर.डी.–2018 पेज नं. 228 जो अपील पत्रावली मे संलग्न है, जो अभिलेख के मुख पर स्पष्ट त्रुटि होना परिलक्षित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:52 IST
Reason: SelfAttested

यह कि पत्रावली मे मौजूद न्यायिक दृष्टांत सम्मानीय न्यायालय के अवलोकन मे आ गया होता तो अपील मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.9.2016 की अपील सारवान एवं विधि सम्मत मान्य होने से अपील अपीलांट स्वीकार्य थी। यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अवधिमध्य प्रस्तुत कर निवेदन है कि स्वीकार किया जाकर पुनः निर्णय पारित करे।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट व आदेश धारा 47 सी.पी.सी. पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। इस न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 274/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 25.9.2019 का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण मे प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत तानसुख बनाम भगवानदास तोडी आर.आर.डी.–2018 पेज नं. 228 का भी अवलोकन किया गया। जो इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझतें हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट व आदेश धारा 47 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:52 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: